

# कार्यालय, निदेशक-माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/अ-2/नियमित प्रबोधन/2024/19823

दिनांक:-यथा हस्ताक्षर

समस्त

जिला कलक्टर

- विषय: विद्यार्थियों को लाने व ले जाने वाले वाहनों (बाल वाहिनी) की अनियमितताओं के संबंध में।
- प्रसंग: कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक:-  
1. शिविरा-माध्य/म-स/बाल वाहिनी योजना/22478/2007-2017 दिनांक 28.11.2007 एवं 17.11.2017  
2. शिविरा/माध्य/पीएसपी/बाल वाहिनी/निर्देश/2019-20 दिनांक:-06.03.2019  
3. शिविरा-माध्य/म-स/सडक सुरक्षा/22418/2015-19/273 दिनांक 30.04.2019
- संदर्भ: कार्यालय मंत्री विद्यालय (शिक्षा/संस्कृत), पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक :-वि.स./मंत्री/शिक्षा/पंरा./2024/3029 जयपुर, दिनांक:-07.05.2024

महोदय,

राज्य की शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थानों में आने व जाने हेतु परिवहन के निजी साधनों के अतिरिक्त बहुसंख्यक मात्रा में शिक्षण संस्था के स्वयं के वाहनों, सार्वजनिक सेवा वाहनों, संविदा अनुज्ञा पत्र धारी वाहनों का उपयोग किया जाता है। सरकार द्वारा उक्त वाहनों के नियन्त्रण, कुशल संचालन एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु **बाल वाहिनी के संचालन** के लिए दिशा-निर्देश नियत किए गए हैं।

## बाल वाहिनी निर्देश का मुख्य उद्देश्य

- विद्यालयों में आवागमन के दौरान दिन-प्रतिदिन बढ़ती स्कूली विद्यार्थियों के दुर्घटना संबंधी घटनाओं एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर "बाल-वाहिनियों के संचालन में बरती जा रही भारी अनियमितताओं" के आधार पर विभाग के संज्ञान में आया है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा बाल-वाहिनियों के लिये विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया पालना नहीं की जा रही है।
- विद्यालय द्वारा की गई उक्त लापरवाही से अध्ययनरत विद्यार्थियों का जीवन जोखिम में पड़ सकता है। इस कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा, सुविधाजनक एवं सुलभ वाहन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार के अद्यतन गाईडलाईन आदेश संख्या 23/2017 दिनांक:-29.06.2017, माननीय उच्च न्यायालय के इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना करवाया जाना।
- किसी भी आकस्मिक विपरीत परिस्थिति में तत्काल सहायता हेतु विद्यालय, परिवार, निकटतम अस्पताल, थाना, बाल वाहिनी चालक, सहायक चालक, आदि को सूचना प्राप्त हो सके।

**RajKaj Ref**  
**7647828**

प्रासंगिक पत्रों के क्रम में विभाग द्वारा जारी पूर्ववर्ती आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के अनुवर्तन में विभिन्न स्तरों पर बरती जाने वाली सावधानियों तथा सुरक्षात्मक उपायों को पुख्ता किये जाने हेतु अग्रानुसार दिशा-निर्देशों का सम्मिलित करते हुए **अक्षरशः** पालना सुनिश्चित किये जाने के लिए अपने जिले से संबंधित पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, को आवश्यक निर्देश प्रदान कराने का श्रम करावें ताकि बाल वाहिनी संबंधी अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके।

### उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के हेतु-

- स्कूल बस का रंग सुनहरी पीला होगा जिसके आगे व पीछे "स्कूल बस" लिखा होगा। अनुबन्धित बस/ऑटो रिक्शा पर "ऑन स्कूल ड्यूटी (On School Duty)" लिखा होगा। वैन/कैब के पीछे व साइड में 150 मिमी चौड़ाई की सुनहरे पीले रंग की क्षैतिज पट्टी बाल वाहिनी पर स्पष्ट रूप से अंकित होगा।
- बस/वैन/कैब/ऑटो के पीछे विद्यालय का नाम व फोन नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा ताकि आपात स्थिति में अथवा चालक द्वारा लापरवाही करने की दशा में सूचित किया जा सके।
- बस के अन्दर ड्राइवर का नाम, मोबाइल नं., पता, लाइसेंस नं., बैज नं., वाहन स्वामी का नाम व मोबाइल नं., चाइल्ड हेल्प लाइन नं.(1098), यातायात पुलिस (1095) एवं परिवहन विभाग हेल्प लाइन नं. तथा वाहन का पंजीयन क्रमांक कॉन्ट्रास्ट रंग में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा। ड्राइवर के बदलने पर उसका विवरण बदल दिया जायेगा।
- बाल वाहिनियों में अनिवार्य रूप से कैमरे लगवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- बाल वाहिनी में प्राथमिक उपचार पेटी, अग्निश्मन यंत्र, सुझाव पेटिका का संधारण किया जावे।

### बाल वाहिनी चालक/सहायक चालक हेतु -

- बाल वाहिनी चालक तथा सहकर्मी सभी बालकों के साथ अपनत्व एवं एक समान व्यवहार रखें।
- चालक इस बात का विशेष ध्यान रखे कि स्वयं का स्वास्थ्य पूर्णतया ठीक होने की स्थिति में ही वाहन का चालन करें एवं बाल वाहिनी के चालन के समय किसी भी प्रकार का धुम्रपान, मोबाइल चलाना आदि आदतों का न अपनाये। बच्चों के साथ अनुशासन बनाये रखें।
- बाल वाहिनी सहायक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो जिसे कि बाल वाहिनी के चालन के समय चालक से प्राप्त संकेतों को आसानी से समझ सकें एवं छोटे बालकों को उचित स्थान पर बैठाना, बस में बालकों के उतरने एवं चढ़ने का विशेष ध्यान रखना, बाल वाहिनी में बच्चों के झगड़ों को रोकना एवं किसी भी अप्रिय घटना को समझदारी से निपटाने संबंधी कार्यो मे निपुण होना चाहिए।
- ऑटो/वैन/कैब बस के वाहन चालक को इसी श्रेणी के वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव हो तथा उसके पास कम से कम 5 वर्ष पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो।

## विद्यालय प्रशासन हेतु –

- विद्यालय स्तरीय प्रबंधन संबंधी सदस्य एवं 05 अभिभावकों (बाल वाहिनी में पंजीकृत के अभिभावक) को सम्मिलित करते हुए **विद्यालय स्तरीय बालवाहिनी यातायात समिति** का गठन किया जावे जो वाहन चालकों के प्रमाण-पत्रों एवं बालवाहिनी संबंधी दिशा-निर्देशों की पालना किये जाने का नियमित निरीक्षण एवं प्रबोधन करेगी।
- बाल वाहिनी संबंधी समस्त सूचना जैसे आर.सी., ड्राइवर का नाम, मोबाइल नं., पता, लाइसेंस नं., बैज नं., वाहन स्वामी का नाम व मोबाईल नं., आदि को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना आवश्यक होगा।
- बाल वाहिनी से कक्षावार आने वाले विद्यार्थियों की सूची संबंधी कक्षा अध्यापक के पास उपलब्ध होगी। कक्षा अध्यापक सप्ताह में एक दिन बाल-वाहिनी में पंजीकृत विद्यार्थियों से बाल वाहिनी पेटिका के माध्यम से प्राप्त समस्याओं के समाधान हेतु रिपोर्ट तैयार कर संस्था प्रधान को उपलब्ध करवाएंगे। संस्था प्रधान प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक माह की अंतिम कार्यदिवस को बालवाहिनी संचालकों के साथ मीटिंग कर समस्याओं का निस्तारण करेंगे।
- विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध/संचालित बाल-वाहिनियों की संख्या से तीन अधिक दक्ष एवं योग्य चालकों की नियुक्ति की जावे ताकि किसी चालक के अवकाश पर रहने पर अतिरिक्त चालकों द्वारा बाल वाहिनी का चालन किया जा सके।
- विद्यालय प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि बाल-वाहिनी में बैठक व्यवस्था/उपलब्ध सीट के अनुसार ही विद्यार्थी बाल-वाहिनी में आवागमन कर रहे है। क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बाल-वाहिनी में बैठाने पर विद्यालय प्रबंधन एवं संचालकों पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था उनके आयुवार निर्धारित की जावे कम आयु के विद्यार्थियों को बाल वाहिनी में आगे की तरफ एवं सुरक्षित स्थान पर बैठाये जाने को प्राथमिकता दी जावे।
- विद्यालय प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि बाल-वाहिनी का संचालन अधिकतम 40 किमी/घंटे की गति से अधिक न हो।
- संस्था प्रधान/सचिव द्वारा सड़क सुरक्षा क्लब के माध्यम से बाल-वाहिनी योजना सख्ती से लागू करवाई जाएगी। जिसमें विद्यालय का एक वरिष्ठ अध्यापक/व्याख्याता स्तर का शिक्षक **यातायात संयोजक** के रूप में नियुक्त किया जायेगा। जिसके निर्देशन में क्लब द्वारा बाल वाहिनियों के नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। संयोजक प्रति माह प्रार्थना सभा में यातायात के नियमों संबंधी जानकारी सभी विद्यार्थियों को अवगत करवाएंगे।
- विद्यालय प्रबंधन द्वारा बाल वाहिनी योजना संबंधी रिपोर्ट वर्ष के अंत में जिले की स्थायी संयोजक समिति को सुपुर्द करनी होगी, जिसका जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित यातायात प्रबंधन समिति द्वारा पुर्नवलोकन किया जायेगा।
- विद्यालय प्रबंधन द्वारा जिला स्तर पर गठित संयोजक समिति को समय-समय पर बाल-वाहिनी संबंधी रिकॉर्ड की समीक्षा करते हुए बाल वाहिनी योजना की पूर्ण पालना की जा रही है, के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

## अभिभावकों हेतु –

- विद्यालय प्रबन्धन द्वारा विद्यालय में होने वाली अभिभावक-शिक्षक समागम में बाल वाहिनियों के सुचारु संचालन हेतु अभिभावक/विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि (Feedback) ली जावेगी।
- बालकों को समय पर नियत स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें जिससे की विद्यार्थियों को समय पर विद्यालय पहुंचाया जा सके। समय पर बाल वाहिनी स्टेण्ड पर नहीं पहुंचने के कारण ही बाल वाहिनी को बालकों हेतु इन्तजार करना पड़ता है। जिससे विद्यालय समय पर पहुंचने में अनावश्यक विलम्ब होता है अनावश्यक विलम्ब होने पर ही बाल वाहिनी चालक समय पर पहुंचने की चेष्टा से तीव्र गति से बाल वाहिनी का चालन करता है।

## **अधिकारियों से अपेक्षाएं**

### **1. पुलिस अधीक्षक –**

- बाल वाहिनी योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित स्थायी संयोजक समिति का अध्यक्ष का दायित्व पुलिस अधीक्षक का होता है।
- उक्त संयोजक समिति सम्पूर्ण जिले में शैक्षिक संस्थाओं में छात्र-छात्राओं को लाने व ले जाने में समस्त वाहनों के संबंध में योजना लागू करने एवं बाल वाहिनी दिशा-निर्देशों की पालना करवाएगी।
- बाल वाहिनी संबंधी अप्रिय घटना होने पर क्षेत्र थाना को सक्रिय रहने एवं त्वरित गति से कार्य करने हेतु जिले के सभी थानाधिकारियों का आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।

### **2. जिला परिवहन अधिकारी**

- नियमित रूप से अपने स्तर पर एवं संयुक्त अभियान के द्वारा बाल वाहिनी वाहनों की जांच करवाई जाए एवं कार्यवाही की त्रैमासिक रिपोर्ट संधारित की जावें।
- यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय में छात्र-छात्राओं के आवागमन के लिए बाल वाहिनी परमिट वाले वाहनों का ही प्रयोग किया जा रहा है।
- समय-समय पर औचक रूप से बाल वाहिनियों का निरीक्षण किया जाना ताकि बाल वाहिनी योजना की पूर्ण पालना हो सके।

### **3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक**

- बाल वाहिनी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों में विद्यालय प्रबन्धन द्वारा पूर्ण पालना की जानी सुनिश्चित करावें। जिले स्तर पर होने वाले संगोष्ठियों, सेमिनारों, जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन कर जिले के सभी विद्यालयों एवं अधिकारियों को बाल वाहिनी संबंधी अद्यतन दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए प्रभावी प्रबोधन किया जाना।

- अभिभावकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों, समस्याओं को पूर्णकर्तव्यनिष्ठा के साथ निस्तारण करना।
- जिले में संचालित सभी गैर सरकारी विद्यालयों से बाल वाहिनी के संबंधी में पूर्ण पालना किए जाने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करना
- दिशा-निर्देशों की पालना किए जाने में आ रही समस्याओं को प्रशासन से अवगत करवा इनका निराकरण करना।

यदि विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपरोक्त वर्णित दिशा-निर्देशों की पालना में लापरवाही बरतना दृष्टिगोचर होता है तो विद्यालय के विरुद्ध विभागीय दिशा-निर्देशों की पालना नहीं किये जाने के आधार पर **राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993** में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार मान्यता समाप्ति की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(आशीष मोदी)

I.A.S.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ:—

1. सहायक सचिव, कार्यालय मंत्री विद्यालय (शिक्षा/संस्कृत), पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5), शासन सचिवालय, जयपुर
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान
5. समस्त पुलिस अधीक्षकगण को जारी निर्देशों के अनुसार क्षेत्राधिकार में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशा-निर्देशों की पालना करवाये जाने हेतु।
6. समस्त जिला परिवहन अधिकारीगण बाल वाहिनी संचालन संबंधी प्रावधानों की समुचित क्रियान्वति विद्यार्थी सुरक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सम्पादित किये जाने हेतु।
7. सचिव, CBSE, नई दिल्ली / CISCE नई दिल्ली / CAIE / BSER, अजमेर
8. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित करते हुए सभी गैर सरकारी विद्यालयों में बाल वाहिनी संबंधित दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।
10. स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग कार्यालय हाजा
11. रक्षित पत्रावली

RajKaj Ref  
7647828

Document certified by ASHISH MODI  
<ashishmodi.kgp@gmail.com>